



पंचदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनार्ये बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री मंजीत कुमार सिंह, सं०वि०सं०
श्री राम सेवक सिंह, सं०वि०सं०
श्री राजीव रंजन, सं०वि०सं०
श्री प्रभात रंजन सिंह, सं०वि०सं०
श्री रामेश्वर पासवान, सं०वि०सं०
श्री अरूण मांझी, सं०वि०सं०
श्री संतोष कुमार निराला, सं०वि०सं०
श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, सं०वि०सं०
श्री सदानन्द सिंह, सं०वि०सं०
श्री गिरिधारी यादव, सं०वि०सं०
डा० इजहार अहमद, सं०वि०सं०
श्री अशोक कुमार सिंह, सं०वि०सं०
श्री रण विजय कुमार, सं०वि०सं०
श्री शैलेश कुमार, सं०वि०सं०
श्री गौतम सिंह, सं०वि०सं०
श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ
बोगो सिंह, सं०वि०सं०

“भारत सरकार के निर्णयानुसार पूरे देश में समाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, 2011 के अनुसार राज्य सरकार के अथक प्रयास से बिहार में 06.12.2013 तक जनगणना समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। मुख्य सचिव, बिहार के पत्र संख्या-116319, दिनांक 05.08.2012 एवं पत्र संख्या-113912, दिनांक 16.07.2012 में निर्गत अनुदेश के अनुसार पर्यवेक्षक को घर-घर जाकर सत्यापन करना था। सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन नहीं हुआ। निदेश के अनुसार ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया गया। जो जनगणना अबतक हुआ उसके विरुद्ध पूरे बिहार में लगभग 45 लाख आपत्तियाँ प्राप्त हुई, जिसका अबतक निराकरण नहीं हुआ है। त्रुटिपूर्ण एवं अनियमित जनगणना के कारण खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाखों परिवार राशन कार्ड से वंचित हो गए हैं। इसके फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार शहरी क्षेत्र में 74.53% के विरुद्ध 65% तथा ग्रामीण क्षेत्र में 85.12% के एवज में 72.08% खाद्य सामग्री बिहार को आवंटित होता है। इन खाद्य सामग्रियों के वितरण भी समय पर नहीं होने से जनता में आक्रोश है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण

अतएव उक्त मामले पर शीघ्र कार्रवाई हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

1	2	3	4
2.	श्री विजय कुमार सिन्हा, संविंसं श्री अनिल सिंह, संविंसं श्री महेन्द्र वैठा, संविंसं	"लखीसराय जिलान्तर्गत बड़हिया प्रखण्ड के जैतपुर पंचायत अन्तर्गत गोलभठठा गाँव में 27 वर्षों से प्रा० विद्यालय चल रहा है। इस विद्यालय में करीब 200 छात्र-छात्राएँ एवं तीन शिक्षक पदस्थापित हैं। इस विद्यालय में बच्चे खुले आकाश में पढ़ाई करते हैं क्योंकि इस विद्यालय का न तो अपना भवन है और न ही जमीन उपलब्ध है। अतः जनहित में गोलभठठा प्रा० विद्यालय को जमीन उपलब्ध कराकर भवन निर्माण करने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"	शिक्षा

हरeram मुखिया

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-09/14-

937

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 28 जून, 2014 ई०।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नियोज
28/6/14

(नियोज अहमद)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-09/14-

937

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 28 जून, 2014 ई०।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

नियोज
28/6/14

(नियोज अहमद)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

नियोज
28/6/14